राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक:मुसप्र/पंजी/पुनर्जीवित/2013/570 दिनांक:-17/7/13

<u>आदेश</u>

राजस्थान आवासन मण्डल के पूर्व आदेश क्रमांक मुसप्र/2009/699 दिनांक 06.08.2009, क्रमांक 625 दिनांक 28.08.2012, आदेश क्रमांक 1603, दिनांक 18.03.2013 एवं आदेश क्रमांक 338, दिनांक 31.05.2013 की निरन्तरता में मंडल की प्रशासनिक त्रुटि के कारण निरस्त किये गये पंजीकरण/आवंटन पुनर्जीवित/ बहाल करने हेतु दिनांक 31.05.2013 तक विधिवत् रूप से प्राप्त आवेदन पत्रों पर कार्यवाही करते हुये उनके अंतिम रूप से निस्तारण की तिथि 15.07.2013 को बढ़ाया जाकर दिनांक 31.07.2013 की जाती है । अतः दिनांक 31.05.2013 तक पुनर्जीवित हेतु विधिक रूप से प्राप्त आवेदनपत्रों का नियमानुसार अंतिम रूप से निस्तारण दिनांक 31.07.2013 तक किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

मंडल द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप अयोग्य पाये गये आवेदनपत्रों को यथावत निरस्त मानते हुये आवेदकों द्वारा मंडल में जमा कराई गई राशि में से नियमानुसार कटौती करते हुये शेष देय राशि दिनांक 31.08.2013 तक अनिवार्य रूप से आवेदकों को लौटा दी जावे। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

17/07/13

(टीकम चन्द बोहरा)

मुख्य सम्पदा प्रबन्धक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव, आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. निजी सहायक, सचिव/वित्तीय सलाहकार/मुख्य अभियन्ता/निदेशक(विधि)/मुख्य सम्पदा प्रबंधक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, प्रथम/द्वितीय/तृतीय,/पी.एण्ड.एम/अति0 मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. उप आवासन आयुक्त वृत्त.............राजस्थान आवासन मण्डल, ...को पालनार्थ ।
6. आवासीय अभियन्ता खण्ड.............. राजस्थान आवासन मण्डल................ को पालनार्थ ।
7. सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाईट पर अपलोड व सभी को मेल करें।
8. सहायक निदेशक, जनसम्पर्क अधिकारी, राज0 आ0 मण्डल, जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।

17/07/13

मुख्य सम्पदा प्रबंधक

G:\Transfer2013\potr13.doc